

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

सु.नं. 5/13

तारीख 22.1.13

उनवान - बहादुर बनाम पुजाश कौण

दावा - बेदखली व ह्याड निषेधाज्ञा

वादी की ओरसे श्री राधेश्यामी बुधा निषेधाज्ञा  
बेदखली व ह्याड निषेधाज्ञा पेश किया। डारलोन  
किया। प्रतिवादी गण को सम्मन जारी कें। दावा की  
रजिस्ट्र कर दिनांक 18.2.13 को पेश हो।

1139-46  
16-1-13

*Handwritten signature*

उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)

1/13 वकूलाय उपस्थित/वार की ओर से कार्य स्थगन रखा  
पीठासन अधिकारी भ्रमण/मोटिंग/अवकास पर  
है। गतानुसार दिनांक 22.2.13 को पेश हो


23/13 पत्रावली पेश हुई। वार की ओरसे कार्य बहिष्कृत  
है। प्रतिवादी नं. 1 व 6 के सम्मन विधिवत लामील  
हो चुके हैं। प्रतिवादी नं. 2, 3, 4, 7, 8 द्वारा सम्मन  
लामील प्राप्त करने से इ-मा की रिपोर्ट लामील कुनिका  
की प्राप्त हुई है। प्रतिवादी नं. 5 का सम्मन वार  
लामील प्राप्त नहीं हुआ है। आइन्दा दिनांक 3-5/13  
को पेश हो।

*Handwritten signature*

3/13 वकूलाय उपस्थित/वार की ओर से कार्य स्थगन रखा  
पीठासन अधिकारी भ्रमण/मोटिंग/अवकास पर  
है। गतानुसार दिनांक 7-6-13 को पेश हो

*Handwritten signature*

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
<u>17-12-15</u>	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं वकील प्रतिवादी भी उपस्थित नहीं। कर्ट ब्रा का वाज दिलाई गई। फिर भी वादी वकील एवं वादी में से कौन भी उपस्थित नहीं है।</p> <p>डाल: अदम हाजिरी एवं अदम चैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर न्याय से कम होकर दारिवाल दफ्तार हो।</p> <p style="text-align: right;">               उप जिला कलेक्टर              टोडाभीम (करीली)           </p>